

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो(तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 152 वर्ष 2016

आवेदिका- सदुम देवी

क्रेता- चोरटी देवी

ग्राम- कुन्दा,

ग्राम- कुन्दा

थाना- महुआटांड, जिला-बोकारो

थाना- महुआटांड, जिला-बोकारो

आदेश की कम सं० एवं
तारीख
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख के साथ।

03

आदेश

यह वाद आवेदिका सदुम देवी पति बुधन महतो, ग्राम- कुन्दा, थाना- महुआटांड, जिला-बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
कुन्दा	41	21	409	65 डी०	14½ डी०	कृषि योग्य

को वे मकान मरम्मत हेतु मो० 1,00,000/- (एक लाख) रुपये में क्रेता- चोरटी देवी पति पारसनाथ महतो ग्राम- कुन्दा थाना- महुआटांड, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत किया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 485/रा० दिनांक 02.09.2016 के माध्यम से अंचल अधिकारी, गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 1020 दिनांक 05.11.2016 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं तथा दोनों पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों ग्राम- कुन्दा, थाना- महुआटांड, जिला-बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का खतियान धनी महतो वगैरह नाम से दर्ज है एवं उसकी जमाबन्दी पंजी-॥ धनी महतो वगैरह के नाम से चल रही है तथा वर्ष 2014-15 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि आपसी बँटवारा द्वारा हासिल है।
03. खतियानी/जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा ससुर का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।
उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता सदुम देवी के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन धनी महतो वगैरह के नाम सर्वे खतियानी जमीन है तथा उक्त जमीन की जमाबन्दी पंजी-॥ में धनी महतो के नाम से चल रही है। उक्त जमाबन्दी में वर्ष 2014-15 तक लगान रसीद निर्गत है। बिक्री वाली जमीन धनी

उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं :-

01. विक्रेता- धनी महतो वगैरह के नाम सर्व खतियान की छायाप्रति तथा धनु महतो के नाम लगान रसीद की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- धनी महतो के नाम सर्व खतियान की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति तथा जाति प्रमाण की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष कुर्मी जाति के हैं, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम, थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के धनी महतो के हिस्से की खतियानी जमीन है।

अतः आवेदक- सदुम देवी पति बुधन महतो ग्राम कुन्दा थाना महुआटांड जिला बोकारो के निम्नांकित भूमि:-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उ० सीमा	द० सीमा	पूरब सीमा	प० सीमा
कुन्दा	21	409	65 डी०	14½	टांड गुजर महतो	रास्ता	रास्ता	टांड झूमन महतो वाके

कुल चौदह पूर्णांक एक बटा दो डिसमिल जमीन मात्र।

मो० 100000/- (एक लाख) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता चोरटी देवी पति पारसनाथ महतो ग्राम कुन्दा थाना महुआटांड जिला -बोकारो को के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।
लेखापित एवं संशोधित ।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बेरमो (तेनुघाट)